न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 76/2010 दायरा दिनांक : 22.04.2010

उनवान

घासी पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी गादिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— भंवरलाल पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी गादिया जयमल तहसील अकलेरा जिला झालावाड

2— फत्तीबाई पुत्री पन्ना पत्नी फूलचंद जाति मीणा निवासी लसुडिया शाहजी जिला झालावाड

3— रामभरोस पुत्री पन्ना पतनी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी गादिया जयमल तहसील अकलेरा जिला झालावाड

4— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड

5—शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. अकलेरा जिला झालावाड

... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय **दिनांक : 17.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 130/दावा/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही फाईनल डिक्री का आदेश पारित कर दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की है एवं पेपर पार्टीशन रिपोर्ट पर भी गौर नहीं फरमाया । वक्त पेपर पार्टीशन भी पटवारी हल्का ने अपीलांट को नहीं बुलाया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया । पेपर पार्टीशन रिपोर्ट में पक्षकारान के कब्जे की भूमि का ध्यान नहीं रखा है, आराजी खसरा नम्बर 153 एवं 783, 784 की सम्पूर्ण आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है । फाईनल डिक्री में वादी की भूमि को दर्शाया है, अपीलांट की भूमि नहीं दर्शाया गया है, नक्शे में दिशा का भी उल्लेख नहीं किया, इस प्रकार बंटवारा नियमों की पालना नहीं की गई है । बंटवारे के नियम मेन्डेटरी है इनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए । अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं देने से यह अपील खारिज की जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2010 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की, पेपर पार्टीशन रिपोर्ट में पक्षकारान के कब्जे की भूमि का ध्यान नहीं रखा तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः खारिज किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री दिनांक 03.03.2010 को पारित की है। पक्षकारान के मध्य 16 बीघा 11 बिस्वा आराजी का विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में 1/2 हिस्से का बंटवारा किया गया है । फाईनल डिक्री में हमें 8 बीघा 4 बिस्वा आराजी मिली है एवं अपीलांट को 8 बीघा 7 बिस्वा आराजी प्राप्त हुई है, जो सही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 03.03.2010 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

घासी पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी गादिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड .... **अपीलांट**	**बनाम**	1– भंवरलाल पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी गादिया जयमल तहसील अकलेरा जिला झालावाड 2– फत्तीबाई पुत्री पन्ना पत्नी फूलचंद जाति मीणा निवासी लसुडिया शाहजी जिला झालावाड 3– रामभरोस पुत्री पन्ना पतनी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी गादिया जयमल तहसील अकलेरा जिला झालावाड 4– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड 5– शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. अकलेरा जिला झालावाड .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **76 / 2010** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**

मु.द.नं **130 / दावा / 2006** निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक – **03–03–2010**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह **09** सन् **2020**

हाजरी श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 03.03.2010 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **17** माह **09** सन् **2020** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.